न्यायालय सहायक कलक्टर(द्वितीय),सीकर

उनवान नरसीलाल वगै0 बनाम मांगु सिंह वगै0

किस्म मुकदमाः– टी0आई0 मुकदमा नं.:– 2025/301

दिनांक	आज्ञा पत्र	
08.07.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी कैलाश स्वामी हाजिर। रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली गई। प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देशय ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दु पर प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमियों को खुर्द बुर्द व हस्तान्तरण करने तथा रहन करने के लिए आमादा हो रहा है। प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए **उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से अंतरिम रूप से पाबंद किया जाता है कि विवाद ग्रस्त आराजी के खसरा 761 वाकै ग्राम सेवद बडी पटवार हल्का सेवद बडी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में आगामी पेशी दिनांक 06.08.2025 तक खसरा नम्बर 761 की दक्षिणी सींव की यथास्थिति बनायें रखें। यह आदेश सीमाज्ञान, पत्थरगढ़ी, विधुत कनेक्शन तथा कटानी रास्तों व प्रचलित रास्तों पर लागू नहीं होगा।** वकील प्रार्थीगण/प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें। रजिस्टर्ड ऐडी तलबी एक माह में जारी नही होना पाये जाने पर स्थगन स्वतः वैकेट हो जावे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत भी करें प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। **लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें, तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें।** अन्यथा अंतरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 06.08.2025 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर	
6/8/25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप.। अप्रार्थीगण 1 व 2 की ओर से श्री [illegible] [illegible] के उपस्थित। पत्रावली वास्ते [illegible] T.I. हेतु 25/8/25 को पेश हो। [signature]	

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

25/8/25 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक.... 12/9/25 को पेश हो।

12/9/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं अप्रार्थी समयावधि तक बार-बार आवाज लगाने के बावजूद उपस्थित नहीं। अत: पत्रावली को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील नतीजा दर्ज रजिस्टर के जमा हो। दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

सहायक कलक्टर II
सीकर

न्यायालय
उनवान
मुकदमा नं.